

हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी

विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाईज निम्न प्रकार से है:-

CARPENTER (AO52068)-01	COPA (AO139878)-01
ELECTRICIAN (AO52064)-02	Fitter (AO142068)-10
Mechanic Diesel(AO224536)-08	Mech(Motor Vehicle)AO52067)-08
Welder (AO425475)-03	Sheet Metal Worker(AO52069)-01

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट "apprenticeshipindia.org पर दिनांक 15.02.2025 से 24.02.2025 सांय 15:00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.डी., मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें तथा आवेदन करने उपरान्त अपलोड किए गए दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय, महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी में जमा करवाएं। यदि उम्मीदवार अपलोड दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। दिनांक 24.02.2025 के पश्चात् किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट के अंकों अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

जिन प्रशिक्षु उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने उपरान्त अपने दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाएं गए हैं उन उम्मीदवारों के दस्तावेज दिनांक 27.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा चैक किए जाएंगे। अतः सभी उम्मीदवार उपरोक्त निश्चित तिथि एवं समय पर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होंगे। सफल प्रशिक्षु उम्मीदवारों का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट के अंकों अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

नोट : अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति केवल दिनांक 24.02.2025 को सांय 17:00 बजे तक कार्यालय में जमा की जाएगी।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
रेवाड़ी